Website – kbpgcollege.ac.in
E-mail – kbpgcmzp@gmail.com

स्थापित–1957

के0बी0पी0जी0 कालेज,

मीरजापुर (उ0प्र0)

(सम्बद्ध महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

प्रवेश विवरणिका

स्नातक (कला एवं विज्ञान)

सत्र 2023-2024

(वर्ष–2021, 2022 एवं 2023 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

प्रो0 (डॉ0) अशोक कुमार सिंह
प्राचार्य

(वर्ष-2021, 2022 एवं 2023 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

प्राचार्य का संदेश

प्रिय विद्यार्थियों,

महाविद्यालय के नवीन शैक्षिक सत्र में आप सभी का स्वागत है।

हमारा देश भारतवर्ष विस्तृत भूभाग में विशाल जनसमूह को धारण करता हुआ विविध भाषाओं, धर्मो और परम्पराओं तथा इस विविधता को एक सूत्र में पिरोने वाली प्राचीन संस्कृति का देश है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय गणराज्य के निर्माताओं ने जिस विकसित, शक्तिशाली और विश्व मानवता के उन्नायक राष्ट्र के निर्माण का स्वप्न देखा था, उसे साकार करने का सर्वाधिक गुरूतर दायित्व हमारी शिक्षण संस्थाओं का है, जिन पर राष्ट्र के भावी कर्णधारों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास की जिम्मेदारी है।

उपर्युक्त महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु जनपद मीरजापुर की सबसे पुरानी उच्च शिक्षण संस्था हमारा यह महाविद्यालय वर्ष 1957 में अपनी स्थापना के समय से ही सतत् कार्यरत है।

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः

महाविद्यालय का यह प्रेरणा सूत्र है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल की सूक्त सं0–89 की प्रथम ऋचा का यह प्रथम चरण है। इसमें प्रार्थना की गयी है कि सभी अन्तर्निहित तथा व्यक्त अभीष्ट शक्तियाँ सभी दिशाओं से (सद्ज्ञान, सत्संकल्प तथा सत्कार्य के लिये) हमारे पास आ जायें। आइये आप और हम मिलकर अपने आचरण से इस आदर्श को चरितार्थ करने की ओर अग्रसर हों, ऐसी हमें आशा है।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने जा रहे आप सभी विद्यार्थियों से हम अपेक्षा करते हैं कि आप शिक्षण और शिक्षणेत्तर गतिविधियों में प्रतिभाग करते हुये निष्ठा, समर्पण तथा अनुशासन के मानकों के अनुरूप आचरण करें। जिस पाठ्यक्रम में आप प्रवेश ले रहे हैं उसमें विशिष्ट शैक्षिक उपलब्धियाँ तो अर्जित करें हीं, अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करते हुये भविष्य में राष्ट्र निर्माण तथा उन्नयन में योगदान करके अपने साथ अपने महाविद्यालय की भी कीर्ति का प्रसार करें।

महाविद्यालय परिवार योग्य एवं कर्तव्यनिष्ठ अध्यापकों और कर्मचारियों तथा शैक्षिक और शिक्षणेत्तर गतिविधियों हेतु अपने उपलब्ध संसाधनों के साथ आपके पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन के लिये तथा आपके सम्मुख आने वाली किसी भी कठिनाई के निराकरण हेतु पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्र और मानवता का कल्याण आपके उत्थान में ही निहित है।

शुभकामनाओं के साथ

प्रो0 (डॉ0) अशोक कुमार सिंह
प्राचार्य

(वर्ष–2021, 2022 एवं 2023 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुक्रम में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश सम्बन्धी दिशा–निर्देश

उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1267 / सत्तर–3–2021–16(26) / 2011 दिनांक 16 जून 2021 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर CBCS प्रणाली लागू करने के अनुक्रम में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम व महाविद्यालय के नियमों के अधीन स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान निर्मित विभिन्न संकायों में से किसी एक का चयन करेगा।

चयनित संकाय से प्रवेशार्थी दो मुख्य विषयों का चयन करेगा। तीसरे मुख्य विषय का चयन विद्यार्थी अपने चुने हुये संकाय या अन्य किसी भी संकाय से महाविद्यालय की शर्तो के अधीन कर सकता है। *विज्ञान संकाय का चयन करने वाले विद्यार्थी विज्ञान संकाय का चयन करेंगे।*

कला संकाय (Faculty of Art)

(I) भाषा संकाय :–

1. हिन्दी
2. अंग्रेजी
3. संस्कृत

इन भाषा विषयों में से किसी दो भाषा विषयों की ही चयन कर सकते हैं।

(II) कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय :–

1. आधुनिक एवं मध्यकालीन इतिहास / प्राचीन इतिहास पुरातत्व व संस्कृति (इनमें से किसी एक विषय का चयन करना है)
2. राजनीति शास्त्र / समाज शास्त्र (इनमें से किसी एक विषय का चयन करना है)
3. भूगोल / मनोविज्ञान / सैन्य विज्ञान (रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन) / शिक्षा शास्त्र / शारीरिक शिक्षा / संगीत (इनमें से किसी एक विषय का चयन करना है)
4. अर्थशास्त्र,
5. दर्शन शास्त्र,

(III) ललित कला संकाय :–

1. संगीत (गायन एवं वादन)
2. चित्रकला (प्रस्तावित), विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर (स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विषय संचालित होगा तथा इसका शुल्क अलग से देय होगा)।

(वर्ष–2021, 2022 एवं 2023 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

विषय चयन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश :–

नोट :– प्रवेशार्थी को कुल 02 विषयों के उपलब्ध विषय समूह का चयन प्रवेश के पूर्व ही सोंच समझकर निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ करना चाहिये :–

1. तीन साहित्यिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी एवं संस्कृत) में से दो से अधिक विषयों का चयन नहीं किया जा सकता।
2. प्रायोगिक विषयों (भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, सैन्य विज्ञान, संगीत एवं शारीरिक शिक्षा) में से केवल एक विषय का ही चयन किया जा सकता है।
3. विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास तथा प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति में से किसी एक का ही चयन किया जा सकता है।
4. समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी एक विषय का ही चयन किया जा सकता है।

विज्ञान संकाय (Faculty of Science)

स्नातक विज्ञान संकाय (बी0एस–सी0) :– स्नातक विज्ञान संकाय के सभी विषय वैकल्पिक हैं, जो दो वर्गो में विभाजित हैं :–

जीव विज्ञान वर्ग (बायो ग्रुप) :–

जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान

अथवा

जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं सैन्य विज्ञान

गणित वर्ग (मैथ्स ग्रुप) :–

भौतिकी, गणित एवं रसायन विज्ञान

अथवा

भौतिकी, गणित एवं सैन्य विज्ञान

अथवा

भौतिकी, गणित एवं कम्प्यूटर साइंस (प्रस्तावित) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर (स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विषय संचालित होगा तथा इसका शुल्क अलग से देय होगा)।

प्रवेशार्थी किसी भी वर्ग (गणित वर्ग या जीव विज्ञान वर्ग) का चयन कर उपरोक्त विषयों का अध्ययन कर सकता है।

5. स्नातक स्तर पर सभी विद्यार्थियों को उसके द्वारा लिये गये 03 मुख्य विषयों के अतिरिक्त एक माइनर इलेक्टिव पेपर (विषय) का चयन करना होगा। माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन विद्यार्थी किसी भी संकाय से सीटों की उपलब्धता के

आधार पर कर सकता है। महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर प्रवेश के समय माइनर इलेक्टिव पेपर को आवंटित करेगा। **विद्यार्थी को यह भी ध्यान रखना होगा कि उसके द्वारा चयनित तीसरे मुख्य विषय और माइनर इलेक्टिव पेपर का संकाय अलग–अलग हो।**

6. प्रत्येक विद्यार्थी को स्नातक के प्रथम वर्ष (प्रथम सेमेस्टर या द्वितीय सेमेस्टर) एव द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर या चतुर्थ सेमेस्टर) में एक माइनर पेपर प्रतिवर्ष लेना अनिवार्य है। तीसरे वर्ष माइनर इलेक्टिव पेपर नहीं है। माइनर इलेक्टिव पेपर (विषय) का आवंटन काउन्सलिंग के समय प्रवेश समिति द्वारा किया जायेगा।
7. स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर (02 वर्षो) के प्रत्येक सेमेस्टर में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध एक कौशल विकास कोर्स करना होगा। स्नातक प्रथम सेमेस्टर में कौशल विकास का कोर्स (विषय) **रचनात्मक कौशल के गाँधीवादी आयाम (Gandhian Model of Skill Devedlopment)** आवंटित है।
8. स्नातक स्तर पर प्रत्येक सेमेस्टर में एक सहगामी पाठ्यक्रम **(Co-curricular)** कोर्स करना अनिवार्य है। प्रत्येक सहगामी पाठ्यक्रम कोर्स 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक है। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न सेमेस्टर में निम्नांकित सहगामी पाठ्यक्रम के विषय आंवटित किये गये हैं :–

(अ) प्रथम सेमेस्टर :–
खाद्य पोषण एवं स्वच्छता
(Food, Nutrition & Hygiene)

(ब) द्वितीय सेमेस्टर :–
प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
(Frist Aid and Health)

(स) तृतीय सेमेस्टर :–
मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन
(Human Values and Environmental Studies)

(द) चतुर्थ सेमेस्टर :–
शारीरिक शिक्षा एवं योग
(Phycial Education and Yoga)

(वर्ष–2021, 2022 एवं 2023 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

(य) पंचम सेमेस्टर :–

विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस
(Analytical Ability and Digital Awareness)

(र) षष्ट्म सेमेस्टर :–

संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास
(Communication Skill and Personality Development)

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्राविधानों के अनुसार होनी है। अतः प्रवेशार्थियों के लिये विषयों का अंतिम रूप से आंवटन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत ही काउन्सलिंग के समय किया जायेगा।

9. **वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 में इण्टरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही स्नातक कक्षा में सत्र 2023–2024 में प्रवेश हेतु पात्र होगें।**
10. **अर्हता/मेरिट निर्धारण में 2023 के पूर्व उत्तीर्ण इण्टरमीडिएट परीक्षा के अंक से प्रतिवर्ष की दर से 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।**
11. **व्यावसायिक विषयों से इण्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश की मेरिट केवल उनके सैद्धान्तिक अंकों के आधार पर बनायी जायेगी।**
12. **वर्तमान सत्र में यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा इस संस्था के अतिरिक्त किसी दूसरी संस्था में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश लिया जाता है तो संज्ञान में आने पर उसका प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।**
13. **यदि कोई छात्र/छात्रा प्रवेश लेने के पश्चात् अपना प्रवेश निरस्त कराता है तो उसे किसी भी प्रकार के शुल्क की वापसी महाविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।**
14. महाविद्यालय का शैक्षणिक सत्र विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्रारम्भ होगा।
15. बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर में किसी विषय में छात्रों की संख्या का निर्धारण महाविद्यालय के संसाधनों एवं विश्वविद्यालय के निर्देशों पर आधारित होगा।
16. **एक संकाय/विभाग में प्रवेश हेतु पंजीकृत आवेदन पत्र किसी अन्य संकाय/विभाग में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी कई**

(वर्ष–2021, 2022 एवं 2023 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

विभागों/संकायों में प्रवेश आवेदन करना चाहता है तो उसे विभाग/संकाय में अलग–अलग आवेदन करना चाहिए।

17. आवेदन फार्म की हार्ड कापी पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर महाविद्यालय में जमा करें। संलग्न प्रमाण–पत्रों से ही योग्यता सूची का निर्धारण किया जायेगा :–

<u>महत्वपूर्ण संलग्नक</u>

(क) हाईस्कूल अंक तालिका की स्वप्रमाणित छाया प्रति।

(ख) इण्टरमीडिएट अंक तालिका की स्वप्रमाणित छाया प्रति।

(ग) चरित्र प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति।

(घ) दो नवीनतम् फोटोग्राफ (पासपोर्ट साइज)

(ङ) यदि आरक्षित वर्ग के हैं तो आरक्षित श्रेणी के नवीन कम्प्यूटराइज्ड प्रमाण पत्र के प्रारूप पर प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(च) EWS श्रेणी के अभ्यर्थी सम्बन्धित नवीनतम प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति अवश्य जमा करें।

18. प्रवेश हेतु आवेदन पत्रों के समय से न पहुँच पाने का उत्तरदायित्व महाविद्यालय पर नहीं होगा। प्रवेश लेते समय प्रवेशार्थी को सभी वांछित प्रपत्रों की मूल प्रतियाँ प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मूल प्रपत्र प्रस्तुत न करने पर संयोजक किसी भी दशा में प्रवेश नहीं देगें।

19. किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या उस विशेष पाठ्यक्रम में निर्धारित स्थान पर निर्भर करेगी। अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही प्रवेश हेतु विचार किया जायेगा।

20. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए एक प्रवेश समिति होगी जिसकी स्वीकृति के आधार पर प्रवेश हो सकेगा।

21. प्रवेश के लिए चुने गये अभ्यर्थी प्रवेश समिति द्वारा निर्दिष्ट निश्चित तिथि तक महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपेक्षित शुल्क जमा करें। निर्धारित तिथि के भीतर शुल्क जमा न करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। जिस पाठ्य विषय में प्रवेश दिया गया है उसके विभागाध्यक्ष को प्रवेश रसीद दिखाकर अपना नाम कक्षा रजिस्टर में अंकित करा लें।

22. स्नातक कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त सभी छात्र/छात्राओं को सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित परीक्षा फार्म भरने की अनिवार्यता होगी।

23. प्रवेश समिति / प्राक्टर / विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर किसी भी छात्र का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
24. महाविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में सीमित स्थान होने के कारण प्रवेश योग्यता क्रम के आधार पर दिया जायेगा।
25. एक बार अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में दोबारा बैठ सकते हैं पर किसी भी दशा में उसी कक्षा में पुनः संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं लिया जायेगा।
26. विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में असफल रह जाने या रोक दिये जाने पर किसी छात्र को महाविद्यालय की किसी कक्षा में प्रवेश नहीं मिल सकता है।
27. महाविद्यालय में पठन–पाठन के हित में प्राचार्य / प्रवेश समिति आवश्यकतानुसार नये नियम निर्देशित कर सकती है।
28. **प्रवेश आवेदन–पत्र जमा करते समय संलग्न मान्य प्रमाण–पत्रों (अधिभार, आरक्षण आदि से सम्बन्धित) पर ही श्रेष्ठता सूची बनाते समय विचार किया जायेगा। इसके पश्चात् प्राप्त किसी भी प्रमाण–पत्र को स्वीकार/विचार नहीं किया जायेगा।**
29. **प्रवेश के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर किसी भी दशा में शुल्क की वापसी नहीं होगी।**

आरक्षण

स्नातक कला एवं विज्ञान प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु पाठ्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत समस्त प्रवेश सीटों पर उ0प्र0 शासन (उच्च शिक्षा) अनुभाग द्वारा अद्यतन अनुमन्य आरक्षण दिये जाने का प्रावधान लागू होगा। प्रवेश हेतु चुने गये अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति का मूल प्रमाण–पत्र, EWS सम्बन्धित नवीनतम प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

भारांक

बी0ए0 / बी0एस–सी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु देय अधिभार (वेटेज) निम्नलिखित है :–

(क) एनसी0सी0 'सी' प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 15 अंक देय होगा।

(ख) एनसी0सी0 'बी' प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 10 अंक देय होगा।

(वर्ष–2021, 2022 एवं 2023 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

(ग) स्काउट एवं गाइडस का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर 15 अंक देय होगा एवं राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर 10 अंक देय होगा।

<u>टिप्पणी :–</u>

(क) उपर्युक्त सुविधाओं में से अधिकम 02 सुविधाओं एवं अधिकतम 25 अंक का अधिभार दिया जायेगा।

(ख) महाविद्यालय के कर्मचारियों/शिक्षकों (कार्यरत एवं अवकाश प्राप्त) के पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री व सगे भाई–बहन के लिए प्रवेश मानकों की अनिवार्यता नहीं रहेगी।

आवश्यक निर्देश

(क) स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा यदि विषय संयुक्तियाँ (Subject Combinations) निर्धारित की जाती है तो प्रवेशार्थी को प्रवेश की अनुमति उन विषय पुंजो के आधार पर ही दी जायेगी।

(ख) वांछित विषय में स्थान रिक्त न होने की स्थिति में प्रवेशार्थी को शेष विषयों में वरीयता के आधार पर विषय चयन की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(ग) छात्रों को विषयों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। जो विषय बी0ए0 भाग एक में होंगे वही बी0ए0 भाग दो में भी होगें।

(घ) पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु दो मुख्य विषयों का चयन एक ही संकाय से किया जायेगा।

परिचय पत्र

प्रत्येक छात्र/छात्रा को महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र अपने पास रखना आवश्यक है। इसे प्रवेश के बाद यथाशीघ्र नियन्ता कार्यालय से प्राप्त कर लेना चाहिए। किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर छात्र/छात्रा द्वारा इसे प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परिचय पत्र खो जाने पर रू0 100/– शुल्क जमा करने पर परिचय पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त की जा सकती है। तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर के छात्रों को प्रवेश के 15 दिन के अन्दर अपना परिचय पत्र बनवा लेना चाहिए।

<u>यूनिफार्म :–</u> महाविद्यालय द्वारा निर्धारित यूनिफार्म छात्र/छात्राओं के लिये अनिवार्य है।

(वर्ष–2021, 2022 एवं 2023 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

छात्र–काला पैन्ट एवं सफेद कमीज (शर्ट)

छात्रा–सफेद सलवार एवं ग्रे समीज

प्रवेशार्थ विश्वविद्यालय के अध्यादेश/निर्देश

ध्यातब्य नियम :–

1. कोविड–19 (कोरोना) प्रसार के रोकथाम हेतु शारीरिक दूरी का पालन एवं मास्क लगाना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय में किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। छात्र/छात्रा प्रवेश व अन्य कार्य स्वयं उपस्थित होकर उपरोक्त नियमों का पालन करते हुये सम्पादित करेंगे।
2. महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त प्रत्येक छात्र/छात्रा से यह अपेक्षा की जाती है कि समय से देय शुल्क जमा करेगा/करेगी। ऐसा न करने पर अर्थ दण्ड लगाया जा सकता है।
3. जमा किये गये प्रत्येक शुल्क की रसीद दी जायेगी। जिसे सम्भाल कर रखना चाहिए।
4. जमा किया गया कोई शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
5. यदि शुल्क में कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तित शुल्क ही देय होगा।
6. प्रवेश प्राप्त प्रत्येक छात्र/छात्रा को नियमानुसार पूरे सत्र का शुल्क देना होगा।
7. प्रवेश रसीद खो जाने पर दूसरी रसीद रू0 100/– जमा करने पर ही दी जायेगी।
8. परिचय पत्र खो जाने पर दूसरा परिचय पत्र रू0 100/– जमा करने पर ही दिया जायेगा।
9. छात्रवृत्ति हेतु बायोमैट्रिक सिस्टम पर छात्रों की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य तथा राष्ट्रीयकृत बैक का खाता नम्बर छात्रवृत्ति हेतु अनिवार्य है।
10. सभी छात्र/छात्राओं को अपना स्वयं का ई–मेल आई0डी0, वाहट्सअप नम्बर एवं आधार नम्बर अंकित करना अनिवार्य है।

सुरक्षा निधि की वापसी

महाविद्यालय छोड़ने के दो वर्षो के भीतर जमा की गयी सुरक्षा निधि आवेदन पत्र देकर वापस ली जा सकती है। भुगतान केवल एकाउण्ट पेयी चेक द्वारा होगा।

पुस्तकालय/वाचनालय

(वर्ष–2021, 2022 एवं 2023 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

महाविद्यालय पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने के लिये पुस्तकालय कार्ड का होना आवश्यक है। प्रवेश पाने के बाद छात्र/छात्राओं को एक सप्ताह के अन्दर अपना पुस्तकालय कार्ड बनवा लेना चाहिए। किसी भी छात्र/छात्रा को दो से अधिक पुस्तकें निर्गत नहीं की जायेगी। पुस्तकालय द्वारा पुस्तक जमा करने की सूचना निर्गत होने के पश्चात् यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा निर्धारित समय पर पुस्तक वापस नहीं की जाती है तो उसे 1/– रूपया प्रति पुस्तक प्रतिदिन की दर से विलम्ब (अर्थ दण्ड) देना होगा। पुस्तकालय भवन में ही वाचनालय की सुविधा है, जहाँ प्रमुख पत्र–पत्रिकाएं उपलब्ध रहती हैं। छात्र/छात्राओं को इसका लाभ उठाना चाहिये। छात्राओं के कामन रूम में छात्राओं के लिये अलग से पत्र–पत्रिकाओं की व्यवस्था है।

साइकिल स्टैण्ड

छात्र/छात्राओं की साईकिलों की सुरक्षा के लिए महाविद्यालय की ओर से साइकिल स्टैण्ड की व्यवस्था है। किसी अन्य स्थान पर वाहनों का रखना वर्जित है। अन्यत्र रखने पर वाहन खो जाने की दशा में छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे।

नियन्ता मण्डल

महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिये नियन्ता मण्डल का गठन किया गया है। महाविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता एवं किसी भी प्रकार का कदाचार करने पर छात्र/छात्रा के विरूद्ध नियन्ता मण्डल द्वारा कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

नेशनल कैडेट कोर (एन0सी0सी0)

महाविद्यालय में नेशनल कैडेट कोर (एन0सी0सी0) की इकाइयां कार्य कर रही हैं। छात्र/छात्राओं से इसमें शामिल होने की अपेक्षा की जाती है, विस्तृत जानकारी एन0सी0सी0 कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

एन0सी0सी0 अधिकारी :–

1. ले0 डॉ0 मकरन्द जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग
2. डॉ0 रतनेश कुमार, असिस्टेण्ट प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र
3. डॉ0 स्नेह लता पटेल, असिस्टेण्ट प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र

रोवर्स/रेंजर्स

(वर्ष-2021, 2022 एवं 2023 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र ही स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें)

महाविद्यालय में रोवर्स/रेंजर्स की इकाईयाँ कार्य कर रही हैं। छात्र/छात्राओं को प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0)

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाईयाँ प्रस्तावित हैं।

महत्वपूर्ण निर्देश

महाविद्यालय परिसर में गुटखा, पान, तम्बाकू इत्यादि मादक पदार्थों का सेवन प्रतिबन्धित है। इन मादक पदार्थो का सेवन करते हुए पाये जाने वाले छात्र/छात्राओं पर रू0 200/- का आर्थिक दण्ड देय होगा।

महाविद्यालय परिसर को भारत स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक छात्र/छात्राओं को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी होगी।

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग अपराध है। ऐसी दशा में प्रत्येक छात्र/छात्रा का यह कर्तव्य है कि परिसर को रैगिंग मुक्त रखें।